

सेवामें,

श्रीमान महोदय,

.....

विषय :- मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीया के पति/पत्नी/पुत्र/दादा/दादी/भाई/माता/पिता पुत्र/पत्नी निवासी तहसील जिला की मृत्यु दिनांक को अपने निवास तहसील जिला में हो गई थी। लेकिन अज्ञानतावश मैंने अपने पति/पत्नी/पुत्र/दादा/दादी/भाई/माता/पिता की मृत्यु का पंजीयन ग्राम पंचायत/नगर परिषद में दर्ज नहीं करवाया था जो कि जरूरी था।

अतः श्रीमान जी के समक्ष दरखास्त पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीया के पति/पत्नी/पुत्र/दादा/भाई/माता/पिता की मृत्यु का पंजीयन करने हेतु ग्राम पंचायत/नगर परिषद को आदेश प्रदान करें।

दिनांक

प्रार्थी/प्रार्थीया

नाम :

पिता/पति का नाम :

निवासी

तहसील जिला (राज.)

(30 दिन के बाद एवं एक वर्ष के भीतर मृत्यु की सूचना देने पर)
(पाई पेपर पर नोटेरी से सत्यापित करावे)

फोटो चस्पा

शपथ पत्र (मृत्यु)

मैं (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... वर्तमान आयु वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता)
(मृतक से सम्बन्ध लिखे) शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि मृतक का नाम मृतक का लिंग मृत्यु तिथि
मृतक के स्थान का पूर्ण पता मृत्यु स्थान का वार्ड नं.
मृतक की माता का नाम (मृतक के पिता/पत्नी का नाम)
..... मृतक का मृत्यु के समय का पता
मृतक का स्थाई पता की मृत्यु
शहर/गाँव में हो गई है।
2. यह कि मृतक व मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
4. यह कि उक्त मृत्यु के माता व पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।

अंगूठा निशान/हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

अंगूठा निशान/हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मे समक्ष लिया गया है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2) एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(2) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रुपये 1/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावे। मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक को जारी किया गया।

जिला रजिस्ट्रार/अति.जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रेशन हेतु संयुक्त जांच रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी
का जन्म/मृत्यु दिनांक को ग्राम
में हुआ/हुई है।

यह प्रमाण पत्र जांच करने उपरान्त जारी किया गया। अतः इस
जन्म/मृत्यु की घटना के पंजीयन किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

गवाह 1.

2.

कार्यकर्ता/संयोगिनी

A.N.M

आंगनबाड़ी केन्द्र

उप स्वास्थ्य केन्द्र.....

वार्ड पंच

वार्ड पंच

सरपंच

वार्ड संख्या वार्ड संख्या ग्राम पंचायत

प्रपत्र संख्या 10

(देखिये नियम 13)

उनुपलब्धता प्रमाण –पत्र

(जन्म और मृत्यु पंजिकरण अधिनियम,1969 की धारा 17 के अन्तर्गत जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
के अनुरोध पर (स्थानीय क्षेत्र)
तहसील जिला (राज्य) के वर्ष
से संबंधित (वर्षों) के रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों में तलाशी की गई और यह पाया गया की
श्री पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
के जन्म/मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

दिनांक :

जारी करने वाले प्राधिकारी के

हस्ताक्षर

मोहर

गवाह का शपथपत्र

मैं, पुत्र श्री जाति
निवासी तहसील जिला
राजस्थान का सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

- 1- यह है कि मैं शपथकर्ता तहसील
जिला राजस्थान का मूल निवासी हूँ।
- 2- यह है कि मैं शपथकर्ता
को भली प्रकार से जानता हूँ। इनकी मृत्यु दिनांक
को अपने निवास
में हुई थी। मैं इनके दाह संस्कार में शामिल हुआ था।
- 3- यह है कि उपरोक्त शपथपत्र के बाबत भविष्य में कोई त्रुटि पायी जावे, तो
उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी व जवाबदारी मुझ शपथकर्ता की होगी।

अतः शपथपत्र पेश हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं, उपरोक्त शपथकर्ता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र में दिया गया विवरण मेरे निजी ज्ञान से सही एवं दुरुस्त हैं। ईश्वर मेरा साक्षी हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता